FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत जिला कलक्टर, अलवर मुकाम अलवर

उनवान भवानी सिंह बनाम उप खण्ड अधिकारी, बहरोड

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र नम्बर 15/79/2019

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.10.20	आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते बहस पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 525 रकबा 0.15 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता वाकै ग्राम बहरोड तरफ गंगाबिशन तहसील बहरोड में स्थित। विवादित आराजी पर रैस्पा0 ने अतिक्रमण किया हुआ था जिस पर पूर्व में तहसीलदार बहरोड द्वारा अतिक्रमण हटाने बाबत दिनांक 7.11.94 को आदेश प्रचलित किये गये है, उक्त आदेशों की विरूद्व न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, अलवर अपील दायर की गई, जिसका निर्णय न्यायालय द्वारा दिनांक 14.03.97 अपील खारिज की जा चुकी है, उक्त निर्णय के विरूद्व माननीय राजस्व अपील अधिकारी, अलवर में अपील दायर होने पर उनके द्वारा दिनांक 12.06.97 को अपील खारिज की जा चुकी है व उक्त निर्णय के विरूद्व माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर में निगरानी दायर की गई, माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 11.08.98 निगरानी खारिज की जा चुकी है, उक्त निर्णय के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में रिट दायर की जो रिट दिनांक 18.02.02 को खारिज हो चुकी है। इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में सिविल स्पेशल अपील दायर की जो भी दिनांक 1.5.02 को खारिज कर दी गयी। प्रार्थी द्वारा मजबूर होकर अतिक्रमण को हटवाने के लिय माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में रिट पिटीशन संख्या 5845/2018 दायर की, जिस पर माननीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 6.4.18 को कर दिया ओर यह उल्लेख किया कि माननीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.2.02 व 1.5.02 के निर्णय के बाद तहसीलदार बहरोड के निर्णय की पालना कराया जाना जरूरी है, इस संबंध में जिला कलक्टर के समक्ष आदेश की पालना कराने हेतु कार्यवाही हेतु निर्देशित किया है। उक्त आदेश की पालना में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अतिक्रमण को हटवाया जावें। अप्रार्थी वकील ने अपनी बहस में कोई कथन व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये। हमनें पत्रावली एवं विद्वान अभिभाषकगणों की बहस पर मनन किया। विद्वान वकील प्रार्थी मुख्य तर्क यह है कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में रिट पिटीशन संख्या 5845/2018 दायर की, जिस पर माननीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 6.4.18 को कर दिया ओर यह उल्लेख किया कि माननीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.2.02 व 1.5.02 के निर्णय के बाद तहसीलदार बहरोड के निर्णय की पालना कराया जाना जरूरी है, इस संबंध में जिला कलक्टर के समक्ष आदेश की पालना कराने हेतु कार्यवाही हेतु निर्देशित किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र में न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अनुसार कोई कार्यवाही किया जाना आपेक्षित नहीं है। प्रार्थना पत्र मात्र अतिक्रमण हटवाने से संबंधित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी का मूल प्रार्थना पत्र प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा कलक्ट्रेट अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दूओं पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुऐं , अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजता की प्रति के संधारित की जाकर, प्रकरण नम्बर से कम हो। जिला कलक्टर अलवर	